# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 21(5) 2025–26 / नाबार्ड–4 / विकास / प्रमुवसं / दिनांकः

## <u>कार्यालय आदेश</u>

नाबार्ड वित पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XXVI, Phase-IV) के अंतर्गत वर्ष 2024–25 तक के विभिन्न पेकेज के अन्तर्गत संपादित वन विकास कार्यो हेतु संलग्न परिशिष्ट । से ।।। के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कमिटेड वन विकास कार्यो हेतु **<u>कुल राशि रूपये 304.30 लाख</u>** का बजट आवंटन किया जाता है। आवंटित राशि का परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. नाबार्ड योजना का पूर्ण अध्ययन कर योजना के अनुरूप कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
2. वन विकास कार्य राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ11(4)वन / 1996 दिनांक 30.10.2024 के क्रम में राजस्थान सोसयटी अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति से ही करवाये जावे।
3. उक्त आवंटन में भौतिक लक्ष्यो का अंकन आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों / उपलब्धि के आधार पर किया गया है। यदि इसमे किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो विवरण सहित 20 जून 2025 तक अनिवार्य अवगत करावें।
4. उक्त आंवटन में यदि किसी मद में राशि का उपयोग संभव नही है अथवा बचत हो तो वह राशि इस कार्यालय को आवंटन के दिनांक से एक माह के अन्दर समर्पित कर दी जावें।
5. परियोजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत कार्यों पर की गई राशि का उपयोग जिन कार्यों के लिये राशि आवंटित की गई है उन्हीं पर व्यय की जावें ।
6. राशि का उपयोग करते समय नाबार्ड द्वारा स्वीकृति NB SPD/2271/RIDF-XXVI (Rajasthan)/ 64thISC/ 2020-21 Dated 24-09-2020 में दिये गये सुझावों तथा ऋण जिन शर्तो पर लिया गया है उसकी पालना सुनिश्चित की जावे। इसके साथ ही इस कार्यालय एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करावें । आवंटित राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जावे।
7. परियोजना की राशि में से संस्थापन तथा किराये के वाहन, वाहनों का क्रय तथा उनके रखरखाव आदि पर व्यय नहीं किया जाकर उपलब्ध स्टॉफ एवं संसाधनों का ही उपयोग किया जावे।
8. परियोजना के अन्तर्गत इस प्रकार की किसी गतिविधि एवं कार्यो पर व्यय नही किया जावे जो प्रतिबंधित हो / अन्य योजनाओं में शामिल हो अथवा क्रियान्वित करवाई जा चुकी हो / करवाई जा रही हो।
9. प्रत्येक विकास कार्य का प्राक्कलन बना कर ही कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
10. परियोजना की प्रगति समयबद्ध तरीके से की जाकर इस कार्यालय एवं राज्य सरकार को समय समय पर सूचित किया जावे ।
11. परियोजना अन्तर्गत किये गये वन विकास कार्यो को ई–ग्रीन वॉच की साईट पर अपलोड करने के उपरांत ही राशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
12. आवंटित राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जावे। व्यय करते समय RTTP Act/Rules की पालना भी सुनिश्चित की जावें।
13. समस्त मुख्य वन संरक्षक गण को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प01 (2) वित्त / सा.वि.ले.नि. / 2005 दिनांक 13.12.13 द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। इस योजना का पूर्ण समन्वयन तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रक्रियाओ की पालना कराने की उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक गण का होगा। अतः समस्त मुख्य वन संरक्षक गण वन विकास कार्यो का क्रियान्वयन परियोजना के अनुसार करवाने की सुनिश्चितता करे।
14. समस्त मुख्य वन संरक्षक गण वन विकास कार्यो का पूर्ण रिकार्ड व वन सुरक्षा समितियों के स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड संधारण की पूर्ण सुनिश्चिता करवायेगे।
15. मुख्य वन संरक्षक गण प्रतिमाह उप वन संरक्षक गण की बैठक आयोजित कर योजना की गतिविधियों का पैकेजवार क्रियान्वयन सुनिश्चिता करवायेगे।

Signature valid
(टी.जे. कविथा)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर
Digitally signed by T.J. Kavitha
Designation : Additional Principal Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.06.09 17:27:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15787804

क्रमांकः एफ 21(5) 2025–26 / नाबार्ड–4 / विकास / प्रमुवसं / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर / उदयपुर / जोधपुर / जयपुर / भरतपुर / वन्य जीव, जयपुर / वन्य जीव, उदयपुर / वन्य जीव, कोटा / वन्य जीव, आर.टी.आर, सवाई माधोपुर / वन्यजीव सरिस्का
3. मुख्य वन संरक्षक, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक 157 दिनांक 08.04.2025 के क्रम में उप वन संरक्षक , बांरा को आंवटन नही किया जावें। उक्त आवंटन उप वन संरक्षक, कोटा, झालावाड एवं बूंदी के लिये ही किया गया है।
4. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
5. कम्प्यूटर अनुभाग वन विभाग,राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. कनिष्ठ लेखाकार, विकास अनुभाग /सूचना सहायक, (विकास अनुभाग) कार्यालय हाजा
7. प्रभारी अंक मिलान (लेखा शाखा) / संकलन शाखा (साख्यिकी अनुभाग) / रक्षित पत्रावली

संलग्नः– उक्तानुसार

**अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)**
**राजस्थान, जयपुर**

Signature valid

Digitally signed by T.J. Kavitha
Designation : Additional Principal Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.06.09 17:27:15 IST
Reason: Approved

**OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, RAJASTHAN, JAIPUR**

**BUDGET ALLOCATION UNDER NABARD RIDF -XXVI PHASE - IV PROJECT FOR YEAR 2025-26**

**BUDGET HEAD : DEMAND NO. 9 (CAPITAL) STATE PLAN**

4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

01–वानिकी

परिशिष्ठ– I

102–समाज तथा फार्म वानिकी

(14)-NABARD KE SAHYOG SE VANIKARAN KARY/

16–लघु निर्माण कार्य

Phy. In unit. | Fin.in Lacs

| S. NO. | TYPE OF WORK | UNIT | UNIT COST (IN RS.) | CCF, Ajmer | | CCF, Bharatpur | | CCF,Jaipur | | CCF, Jodhpur | | CCF, kota | | CCF, Udaipur | | CCF,WL, Kota | | CCF,WL, Udaipur | | CCF,WL, RTR Sawai Madhopur | | CCF, WL Sariska Alwar | | GRAND TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. |
| **PACKAGE 1 : AFFORESTATION (Maintence III rd year)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rehabilitation of Degraded Forests - I | Ha. | 2224 | 50 | 1.11 | | | | | 50 | 1.11 | | | 150 | 3.34 | | | 100 | 2.22 | | | | | **350** | **7.78** |
| 1.2 | Rehabilitation of Degraded Forests - II | Ha. | 2220 | 150 | 3.33 | 400 | 8.88 | 150 | 3.33 | 300 | 6.66 | 950 | 21.09 | 2300 | 51.06 | 100 | 2.22 | 150 | 3.33 | | | 50 | 1.11 | **4550** | **101.01** |
| 1.3 | Assisted Natural Regeneration | Ha. | 2216 | | | 400 | 8.86 | 250 | 5.54 | 100 | 2.22 | 850 | 18.84 | 2500 | 55.40 | | | 100 | 2.22 | 100 | 2.22 | | | **4300** | **95.29** |
| 1.4 | Panchayat Land Plantation | Ha. | 1818 | | | | | 50 | 0.91 | 25 | 0.45 | 25 | 0.45 | 100 | 1.82 | | | 25 | 0.45 | | | | | **225** | **4.09** |
| | **TOTAL** | | | **200** | **4.44** | **800** | **17.74** | **450** | **9.78** | **475** | **10.44** | **1825** | **40.38** | **5050** | **111.61** | **100** | **2.22** | **375** | **8.22** | **100** | **2.22** | **50** | **1.11** | **9425** | **208.17** |

Signature valid

Digitally signed by T.J. Kavitha
Designation : Additional Principal
Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.06.09 17:27:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15787827

# OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, RAJASTHAN, JAIPUR

## BUDGET ALLOCATION UNDER NABARD RIDF -XXVI PHASE - IV PROJECT FOR YEAR 2025-26

**BUDGET HEAD : DEMAND NO. 51 (CAPITAL) STATE PLAN**

4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

**परिशिष्ठ– I I**

01–वानिकी

789–अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ठ संघटक योजना

(05)-NABARD KE SAHYOG SE VANIKARAN KARYA

16–लघु निर्माण कार्य

Phy. In unit. Fin.in Lacs

| S. NO. | TYPE OF WORK | UNIT | UNIT COST (IN RS.) | CCF,Jaipur | | CCF,Ajmer | | CCF,Bharatpur | | CCF,WL, RTR Sawai Madhopur | | CCF, WL Sariska Alwar | | GRAND TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. |
| **PACKAGE 1 : AFFORESTATION (Maintence IIIrd year)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rehabilitation of Degraded Forests - I | Ha. | 2224 | 100 | 2.22 | | | 200 | 4.45 | 50 | 1.11 | | | **350** | **7.78** |
| 1.2 | Rehabilitation of Degraded Forests - II | Ha. | 2220 | 400 | 8.88 | 150 | 3.33 | 400 | 8.88 | | | 50 | 1.11 | **1000** | **22.20** |
| 1.3 | Assisted Natural Regeneration | Ha. | 2216 | 300 | 6.65 | 300 | 6.65 | 400 | 8.86 | | | 50 | 1.11 | **1050** | **23.27** |
| 1.4 | Panchayat Land Plantation | Ha. | 1818 | 25 | 0.45 | 50 | 0.91 | 25 | 0.45 | | | | | **100** | **1.82** |
| | **TOTAL** | | | **825** | **18.21** | **500** | **10.89** | **1025** | **22.64** | **50** | **1.11** | **100** | **2.22** | **2500** | **55.07** |

Signature valid

Digitally signed by T.J. Kavitha
Designation : Additional Principal
Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.06.09 17:27:08 IST
Reason: Approved

## OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, RAJASTHAN, JAIPUR
## BUDGET ALLOCATION UNDER NABARD RIDF -XXVI PHASE - IV PROJECT FOR YEAR 2025-26

**BUDGET HEAD : DEMAND NO. 30 (CAPITAL) STATE PLAN**

4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय **परिशिष्ठ– I I I**

796–जनजातिय क्षेत्र उपयोजना

(16)-NABARD KE SAHYOG SE VANIKARAN KARYA

16–लघु निर्माण कार्य

| S. NO. | TYPE OF WORK | UNIT | UNIT COST (IN RS.) | CCF, UDAIPUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Phy. In unit. | Fin.in Lacs | |
| | | | | Phy. | Fin. |
| | PACKAGE 1 : AFFORESTATION (Maintence IIIrd year) | | | | |
| 1.1 | Rehabilitation of Degraded Forests - I | Ha. | 2224 | 350 | 7.78 |
| 1.2 | Rehabilitation of Degraded Forests - II | Ha. | 2220 | 800 | 17.76 |
| 1.3 | Assisted Natural Regeneration | Ha. | 2216 | 700 | 15.51 |
| | TOTAL | | | 1850 | 41.06 |

Signature valid

Digitally signed by T.J. Kavitha
Designation : Additional Principal
Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.06.09 17:27:08 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15787827